

खारीज

18.9.2024

फर्द अहकाम

2024/368

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
तीजादेवी बनाम कर्मसिंह आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) जाब्ता दिवानी

प्रकरण संख्या 44 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
20.06.2024	<p>केवियट कर्ता महेन्द्र ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र 148ए सी.पी.सी. पेश किया। वकील केवियटकर्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के संबंध में कोई वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो स्थगन/आदेश जारी करने से पूर्व मुझ केवियट कर्ता को कानूनी रूप से सूचित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। केवियट से संबंधित वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर संबंधित शाखा प्रभारी मूल वाद/प्रार्थना पत्र के साथ केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। पत्रावली आईन्दा तारीख 18.09.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">017</p>	
18.9.2024	<p>पत्रावली पेश हुई केवियट प्रार्थना-पत्र के 90 दिवस पूर्ण हो चुके हैं। इस लिए केवियट प्रार्थना-पत्र खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">017</p>	

